Legal CellE-Mail:- legalicds@gmail.com

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांकः एफ 15(7)(5)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/2022/ जयपुर, दिनांकः

संबंधित प्रभारी अधिकारी एवं उप निदेशक, मबावि।
संबंधित प्रभारी अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी।

विषयः— विभागीय न्यायिक प्रकरणो की समीक्षा बैठक दिनांक 30.03.2022 का कार्यवाही विवरण बाबत।

सन्दर्भः— शासन उप सचिव, मबावि राज. जयपुर का पत्र दिनांक 01.04.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि विभागीय न्यायिक प्रकरणो की समीक्षा बैठक दिनांक 30.03.2022 के कार्यवाही विवरण में दिये गये दिशा–निर्देशो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कर लाईटस वेबसाईट पर अपलोड/अपडेशन की कार्यवाही करावे।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

-Sd-
उप विधि परामर्शी
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 15(7)(5)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/2022/ 52493 जयपुर, दिनांकः 5/4/2022

प्रतिलिपिः

1. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

उप विधि परामर्शी
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांकः प0 13(1)म.बा.वि./2022 जयपुर, दिनांक 01.04.2022

बैठक का कार्यवाही विवरण

इस विभाग के पत्र दिनांक 21.03.2022 के क्रम में तथा न्याय विभाग के निर्देशानुसार लाईट्स वेबसाईट पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा करने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निदेशालय, महिला अधिकारिता, जयपुर एवं निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर के अधिकारियों के साथ दिनांक 30.03.2022 को दोपहर 12.30 बजे एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने भाग लियाः–

1. श्री दुर्गा प्रसाद,
   उप विधि परामर्शी,
   समेकित बाल विकास सेवाऐं।
2. श्री संदीप सोठवाल,
   वरिष्ठ विधि अधिकारी,
   महिला अधिकारिता।

निदेशालय, महिला अधिकारिता, जयपुर तथा निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं, जयपुर से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की निम्नानुसार समीक्षा की गईः–

निदेशालय, महिला अधिकारिता, जयपुर –

निदेशालय, महिला अधिकारिता, जयपुर के न्यायिक प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	प्रकरणों का विवरण	प्रकरणों की संख्या
1.	कुल न्यायिक प्रकरणों की संख्या	135
2.	10 से 20 वर्ष तक लम्बित प्रकरण	23
3.	निर्णीत प्रकरणों में पालना/अपील की समीक्षा (3 माह से 01 वर्ष एवं 01 वर्ष से अधिक)	02
4.	जवाबदावा पेश करने से शेष न्यायिक प्रकरणों की संख्या (3 माह से 01 वर्ष एवं 01 वर्ष से अधिक)	04
5.	दस्तावेज अपलोड से शेष प्रकरण	07
6.	अवमानना प्रकरणों की समीक्षा	02

....2

बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारी ने अवगत कराया कि कन्टेम्पट केसेज के 2 प्रकरण में पालना की कार्यवाही पूर्ण करा कर, जवाब प्रस्तुत करा दिया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता की परफौर्मन्स रिपोर्ट के प्रकरणों में केस प्रभारी अधिकारी को प्रविष्टि अपडेट करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है, जिन्हें शीघ्र अपडेट करा दिया जायेगा। रिप्लाई नोट फाइल्ड केसेज के प्रकरणों में संबंधित वाद प्रभारी अधिकारी को अविलम्ब जवाब प्रस्तुत करानें हेतु लिखा गया है। न्यायिक प्रकरणों के दस्तावेजों (Documents) यथा सम्मन/जवाबदावा/याचिका की प्रति/अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी आदेश/न्यायालय निर्णय की प्रति आदि–आदि को लाईट्स सॉफ्टवेयर पर अपलोड कराने हेतु केस प्रभारी अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जा रहा है, जिन्हें शीघ्र अपलोड कराने की कार्यवाही की जायेगी।

एक वर्ष से अधिक प्रकरणों के निर्णीत/पालना से संबंधित प्रकरणों की सूचना शून्य है।

बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि सभी 135 न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज लाईट्स सॉफ्टवेयर पर कर दिया गया है तथा भविष्य में समय–समय पर प्राप्त होने वाले सभी न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज समय पर करने तथा अन्य कार्यवाही करने हेतु, सभी संबंधित सहायक निदेशकों एवं प्रभारी अधिकारियों को निर्देश प्रदान कर दिये गये है। प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति, 100 प्रतिशत लाईट्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही की जा रही है।

<u>निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर –</u>

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर के न्यायिक प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	प्रकरणों का विवरण	प्रकरणों की संख्या
1.	कुल न्यायिक प्रकरणों की संख्या	1861
2.	10 से 20 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित प्रकरण	242
3.	20 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित प्रकरण	05
4.	निर्णित प्रकरणों की पालना से शेष रहे प्रकरणों की संख्या	00
5.	अपील करने से रहे शेष प्रकरण	00
6.	कन्टेम्पट केसेज	51
7.	जवाबदावा पेश करने से शेष प्रकरण	394
8.	3 माह से अधिक जवाबदावा पेश करने से शेष प्रकरण	17
9.	दस्तावेज अपलोड से शेष प्रकरण	566
10.	स्टे विरूद्ध प्रकरणों की समीक्षा	00

.....3

बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि सभी 1861 न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज लाईट्स सॉफ्टवेयर पर कर दिया गया है। दस्तावेज अपलोड करने से शेष प्रकरणों की संख्या अधिक है। दस्तावेज अपलोड का कार्य यथाशीघ्र किया जाना अपेक्षित है।

उक्त के अतिरिक्त बैठक के दौरान निम्नांकित निर्देश भी प्रदान किये गये:–

1. समस्त न्यायिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति आदेश लाईट्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही जारी किया जाना सुनिश्चित करावे।
2. न्याय विभाग के निर्देशानुसार न्यायिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति, प्रकरण प्राप्ति की 15 दिवस की अवधि में ही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. रेड केटेगरी के प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करवाने हेतु संबंधित राजकीय अधिवक्ताओं से सम्पर्क कर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
4. ड्यू कोर्स में लम्बित न्यायिक प्रकरणों के संबंध में संबंधित राजकीय अधिवक्ता से विचार–विमर्श करने के उपरान्त, आवश्यक होने पर शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना–पत्र न्यायालय में दायर करावें।
5. जिन प्रकरणों में राज्य के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित है उन प्रकरणों में पारित स्थगन आदेश को वेकेट कराने के लिये न्यायालय में प्रार्थना पत्र अविलम्ब दायर कराने की कार्यवाही करावें।
6. लाईट्स वेबसाईट पर सभी न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज/अपडेशन हर माह की पांच तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करावें।
7. सभी जिला नोडल अधिकारियों को यह भी निर्देशित करावें कि वे प्रत्येक माह के अन्तिम सोमवार को प्रत्येक जिले मे न्याय विभाग द्वारा नियुक्त जिला नोडल अधिकारी एवं जिला कलेक्टर के यहां आयोजित बैठक में उपस्थित होकर लाईट्स सॉफ्टवेयर पर दर्ज किये गये प्रकरणों, अपडेशन किये गये प्रकरणों से संबंधित नवीनतम जानकारी से अवगत करावें।
8. लाईट्स सॉफ्टवेयर पर न्यायिक प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों (Documents) यथा सम्मन/जवाबदावा/याचिका की प्रति/अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी आदेश/न्यायालय निर्णय की प्रति आदि–आदि दस्तावेजों को अपलोड कराने की कार्यवाही समय–समय पर सुनिश्चित करावें।
11. 10 वर्ष से 20 वर्ष तक के लम्बित प्रकरणों की न्याय विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचना आगामी 3 दिवस में उपलब्ध करावें ताकि न्याय विभाग को सूचना प्रेषित की जा सके। साथ ही उक्त प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा कर, अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

...4

10. निर्णय की पालना से शेष प्रकरण तथा अपील करने से शेष प्रकरणों की समीक्षा कर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
11. 3 माह से अधिक जवाबदावा प्रस्तुत करने से शेष लम्बित प्रकरणों की तथा निर्णय की पालना से संबंधित प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा कर, न्याय विभाग द्वारा वांछित प्रपत्र में सूचना तत्काल प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।
12. स्टे विरूद्ध प्रकरणों की समीक्षा के विरूद्ध प्राप्त स्थगन को खारिज कराने हेतु संबंधित प्रभारी अधिकारीयों को निर्देशित करावें।

उक्त कार्यवाही के पश्चात्, धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

सुनीता

राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी
एवं वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, महिला अधिकारिता, जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004।
4. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, 2, जल पथ, गॉधी नगर, जयपुर–302015।
5. रक्षित पत्रावली।

सुनीता

राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी
एवं वरिष्ठ शासन उप सचिव